

D.N = 363
17/5/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज.)

शामनिवाले कपलेश पिल शाह कांजर निवासी हुई
जमी

- ① शशी सिंह पिल शोब सिंह बाजहरनि हुई
- ② बनेश पिल शोहन कांजर निवासी हुई
- ③ हरिण पिल शाह कांजर निवासी हुई
- ④ मीना पाले हरिण कांजर निवासी हुई

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक- 16/5/17

शामनिवाले कपलेश कांजर ने जरिक
मुकेश पटिल ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एक
खाते की भूमि का सरपना प0ह0 सरपना तह0 माण्डलगढ में

आणन 1331/358 रकबा 5 बीघा

रकबा 5 बीघा — विश्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आद्य
विवाद का लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कर
साथ में प्रार्थनापत्र की लाईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान का
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली से संलग्न जमाबंदी सम्वत 2069-2072 के अवलोकन से प्रमाण
आशंका का खातेदार / गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसीयान के विवाद में
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रमाण
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0 रजीकार
शामनिवाले कपलेश कांजर की आराजी न0 1331/358 रकबा 5 बीघा

रकबा 05 बीघा — विश्वा — की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढी
का आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया
कमीशनर फीस 300 / रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा कर
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 / रुपये राजकौष में जमा होने पर पालनाथ ज
माण्डलगढ को दिये जायें।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

2